रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-86/2024/827/22-2-2024-17(914)/2023
लखनऊ : दिनांक: 14 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर 2023) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार-2, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर माथुर (बन्दी संख्या-701/2010) पुत्र श्री रामऔतार, निवासी-नौगवां भगवन्तपुर, थाना-क्योलडिया, जनपद-बरेली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1053/2008 में भा0द0वि0 की धारा-304बी/34 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/कक्ष सं0-2, बरेली के आदेश दिनांक 25.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 02.10.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 09 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 07 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-86/2024/827(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2 बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन सं0-2161/2024 रामवीर माथुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं अवमानना वाद (सिविल) सं0-30822/2024 रामवीर माथुर बनाम श्री दुर्गाशंकर मिश्र में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-05-2024 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in